15/3/2021	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पृथक डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.04.12 12:35:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी :— देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0 58 / 2006 | आर.सी.एम.एस 2006 / 00001 | तारीख रजू 11.05.2006

1. ठाकुरजी महाराज मुरली मनोहरजी वाके ग्राम सौरया तहसील करौली जरिये पुरारी प्रबन्धक नैक्सड प्रेण्ड, रमेशदास चेला तुलसीदास जाति ब्राहमण निवासी मकनपुर (सौरया) तहसील करौली जिला करौली (राज0)

वादी

बनाम

1. रामखिलाडी पुत्र रामहेत जाति कुम्हार निवासी मकनपुर (सौरया) तहसील करौली जिला करौली(राज0)
2. हण्डो पत्नि भगवती फौत
3. वनीसिंह पुत्र भगवती
4. विमला पत्नि वनीसिंह
5. यादराम
6. मीठया
7. रेखसिंह
8. प्रेमसिंह
   } पिसरान वनीसिंह
9. विनीता पुत्री वनीसिंह
10. जुआनसिंह
11. भगवान सिंह
12. वहादुर
   } पिसरान भवगती
13. देवीसिंह पुत्र रामसिंह
14. रामधन पुत्र वण्डा
    जातियान गुर्जर निवासीयान मकनपुर सौरया तहसील करौली।
15. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली

——प्रतिवादीगण

दावा धोषणा खातेदारी एवं दखल व स्थाई निषेघाज्ञा

निर्णय

दिनांक 15.03.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मंदिर ठाकुरजी महाराज मुरली मनोहर ग्राम सौरया की ओर से रमेशदास पुजारी ने वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी ठाकुरजी ग्राम सौरया तहसील करौली में विराजमान है जो साश्वत नावालिग है। उनकी सेवा पूजा जमीन जायदाद की व्यवस्था मुझ रमेशदास द्वारा की जाती है यह दावा ठाकुरजी से कोई ए... आराजी खसरा नम्बर 202,203,204, कुल किता 3 कुल रकवा 5 वीधा ग्राम सौ... हल्का खूबनगर में वादी के खातेदारी व कब्जे की स्थित है काश्तकारी अधिनियम ... होने के दिन सम्बत 2012 में विवादित आराजी वादी ठाकुरजी के ... भी सैटिलमैन्ट विभाग ने गलत तरीके से सम्बत 2015 में वादी के नाम का इन्द्राज खातेदारी के कॉलम में से हटा दिया जबकि सैटिलमैन्ट विभाग को राजस्व रिकार्ड में खातेदारी इन्द्राज वदलने का कोई अधिकार नही है मात्र वारिसी इन्द्राज ही बदल सकता है,अन्य इन्द्राज अदालत के आदेश के बिना वदलने का कोई अधिकार क्षेत्र हॉसिल नही है फिर भी गलत तरीके

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.04.12 12:35:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

से प्रतिवादी न01 ता 8 के वुर्जुगों से मिल कर ठाकुरजी का नाम हटाकर प्रतिवादीगण के वुर्जुगों का नाम इन्द्राज कर दिया रामहेत व बण्डा का नाम दर्ज कर दिया इस इन्द्राज से वादी के हक हकूको पर कोई असर नही पडता है, इन इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी न01 ता 8 वादग्रस्त आराजीयात पर अवैध रूप से वतौर ट्रेस पासर काबिज है, दिनांक 27.04.2006 को वादी की ओर से वादी रमेशदास द्वारा प्रतिवादीगण से जमीन खाली कर कब्जा वादी को देने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण हक हकूक खातेदारी वादी से व जमीन पर कब्जा देने से इन्कार हो गये और कहा कि खाता हमारे नाम है तव रेवेन्यु रिकार्ड की नकले लेने पर समस्त फर्जकारी का पता लगा है प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि इस जमीन को खुर्द वुर्द करेगे और निर्माण करेगें तब वादी ने यह दावा किया है भूमि में पक्का कुआ था उसे प्रतिवादीगण ने वादी को नुकसान पहुचाने की गरज से नष्ट कर दिया है और जमीन में स्थित ववूलके पेडों को काट कर ले गये मना करने पर आमादा फिसाद हुये वादी भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित कराने का एवं प्रतिवादीगण को वेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के अधिकारी है। अन्त में दावा वादी ड्रिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।

प्रतिवादीगण ने मय वकील उपस्थित होकर वादी के वादपत्र को अस्वीकार करते हुए जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी की ओर से रमेशदास को दावा लाने का कोई अधिकार नही है रमेशदास चेला तुलसीदास नही है ने नेक्सट फैण्ड नही है। वादी उक्त वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार नही है वल्कि भूमि प्रतिवादी 2/3 हिस्से व 1/3 हिस्सा के प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है और पुश्तैनी तौर पर वतौर खातेदार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात विवादित का सम्बत 2012 में खातेदार होना व वादी का कब्जा होना गलत दर्ज किया है। जागीर एक्ट व आर.टी.एक्ट के प्रभाव में आने पर वादी कभी खुद काश्त काबिज नही रहा प्रतिवादीगण के वुर्जुगों ने सैटिलमैन्ट कमियों से साज कर खाता अपने नाम कराया हो और वादी का नाम हाटया हो और प्रतिवादीगण अवैध रूप से वतौर ट्रेस पासर काबिज हो गलत है वल्कि प्रतिवादीगण वतौर खातेदार काश्तकार पुश्तैनी तौर पर काबिज काश्त है। दिनांक 27.04.2006 को रमेशदास ने प्रतिवादीगण से जमीन खाली कर कब्जा लेने को कहा हो गलत है रमेशदास किसी भी प्रकार प्रतिवादीगण से किसी भी सूरत में कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी का यह कहना भी गलत है कि उसे रेवेन्यु रिकार्ड की नकल लेने पर जानकारी हुयी है प्रतिवादीगण ने जमीन विवादित के खुर्दवुर्द करने की व निर्माण करने की धमकी की है, गलत है कुआ को नष्ट किया हो यह गलत है इन जमीनों में कभी कुआ था ही नही और अव भी मौके पर कुआ नही है ना कोई जमीन में ववूल के पेड है ववूल के पेडों को काट कर ले जाने को आमादा फिसाद होने की वात गलत व मनगढत दर्ज की है वादी किसी प्रकार की कोई धोषणा कराने का अधिकारी नही है नही दखल प्राप्त करने का अधिकार है न ही हम खातेदार को पाबन्द कराने का अधिकारी है दिनांक 24.04.2006 को कोई विक्रय दावा वादी को पैदा नही हुयी है। वादी कोई दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी है विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण सन् 1952 से पूर्व से व दिनांक 15.10.1955 से पूर्व अपने पिता व दादा के समय से वतौर हक खातेदारी काश्तकारी काबिज चले आ रहे है। विवादित भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज हरिया व छीतर के समय की पुश्तैनी कब्जे काश्त खातेदारी की रही है वादग्रस्त आराजी को वादी मंदिर के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है और विवादित भूमि पर वादी मंदिर व रमेशदास व तुलसीदास का कब्जा कभी नही रहा है ना अब है और वादी सन्1952 व दिनांक 15.10.1955 को विवादित भूमि पर काबिज काश्त नही रहा है विवादित भूमि में वादी मंदिर के कोई खातेदारी हकूक कभी भी निहित नही हुये है वादी मंदिर की ओर से दावा लाकर विवादित भूमि को प्रतिवादीगण से छीनना चाहते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.04.12 12:35:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रमेशचन्द तुलसीदास का चेला नही है,कोई शपथ पत्र वादपत्र के साथ प्रस्तुत नही किया गया है रमेशचन्द को दावा दायर करने का हक नही है अन्त में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाधक विन्दू विदचित किये गये।

1. आया दावाधीन आराजी खसरा नम्वर 202 रकवा 1 वीधा 3 विस्वा खसरा नम्बर 203 रकवा 1 वीधा 15 विस्वा खसरा नम्वर 204 रकवा 2 वीधा 2 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 5 वीधा खेत ग्राम सौरया पटवार हल्का खूबनगर का वादी को काश्तकार खातेदार धोषित किया जावें।

——वादी

2. आया विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण सन्1952 से पूर्व से व 15.10.1955 से पूर्व से वतौर हक खातेदारी चले आ रहे है। विवादित भूमि में वादी मंदिर के कोई खातेदारी हक हकूक कभी भी निहित नही हुये है वादी को दावा दायर करने का कोई हक नही है दावा खारिज योग्य है।

—— प्रतिवादी

3. अनुतोष

वाद विवाधक विन्दु वादी साक्ष्य ली गयी वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी रमेशदास पी.डब्लू 1 के बयान लेखवद्व कराये है एवं दस्तावेजी सवूत में नकल जमावन्दी सम्वत 2012 प्रदर्श —1 व मिलान क्षेत्रफल सैटिलमैन्ट सम्वत 2015 प्रदर्श 2 व जमावन्दी सैटिलमैन्ट सम्वत 2015 प्रदर्श 3 व जमाबन्दी सम्वत 2061 से 2064 प्रदर्श 4 प्रस्तुत को प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादी समाप्त कर वन्द की गयी।

साक्ष्य प्रतिवादीगण ली गयी प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य में प्रतिवादी जुवान सिंह डी.डब्लू.1 के बयान लेखवद्व कराये है। साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त कर वन्द की गयी।

वहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी का वहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजी वादी मंदिर के खातेदारी व कब्जे काश्त की खुद काश्त भूमि है। वादी ठाकुरजी ग्राम सौरया तहसील करौली में विराजमान है जो साश्वत नावलिग है उनकी सेवा पूजा जमीन जायदाद की व्यवस्था वादी रमेशदास द्वारा की जाती है वादी ठाकुरजी के हित में यह दावा पेश किया है वादी रमेशदास का ठाकुरजीको कोई एडवर्स इन्ट्रेस्ट नही है। सम्वत 2012 में भूमि जमावन्दी प्रदर्श —1 में वादी ठाकुरजी के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी सैटिलमैन्ट विभाग ने गलत तरीके से सम्वत 2015 में वादी के नाम के खातेदारी के कॉलम से खातेदारी इन्द्राज हटा दिये जबकि सैटिलमैन्ट विभाग को राजस्व रिकार्ड खातेदारी इन्द्राज को वदलने का अधिकार नही है। प्रतिवादी न01 ता 8 के वुर्जुगों से मिलकर सैटिलमैन्ट कमियों के ठाकुरजी का नाम हटाकर प्रतिवादीगण के वुर्जुगों रामहेत व [illegible] उक्त इन्द्राज से वादी के हको पर कोई असर नही पड़ता है प्रतिवा[illegible] पर अवैध रूप से वतौर ट्रेस पासर काविज है दिनांक 27.04.2006 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण से भूमि खाली करने व कब्जा वादी [illegible] तो प्रतिवादीगण हकूक खातेदारी वादी से कब्जा वादी को देने से इन्कार [illegible] और भूमि को अपने नाम होने की कहा तव वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड लेने पर फर्जकारी का पता लगा प्रतिवादीगणरा ने भूमि को खुर्द वुर्द करने व भूमि में निर्माण करने की धमकी दी है, और भूमि में वने पक्के कुआ को प्रतिवादीगण ने नष्ट कर दिया है एवं वबूल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.04.12 12:35:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पेडों को भी काट कर ले गये वादी भूमि की खातेदारी घोषणा ठाकुरजी के नाम कराने एवं प्रतिवादीगण को वेदखल करा कर कब्जा प्राप्त करने प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार है। वादी ने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्बत 2012 प्रदर्श–1 पेश की है। आर.आर.डी. 2007 पैज 56,58 एवं आर.आर.डी. 2002 पैज 167 तक पेश किया जिससे भूमि वादी मंदिर ठाकुरजीके खातेदारी व कब्जे काश्त की होना सावित है। वादी का दावा ड्रिकी किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण का वहस में कथन है कि वादी को मंदिर ठाकुर जी की ओर से दावा लाने का अधिकार नही है। वादी मंदिर ठाकुरजी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार नही है । भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी काश्तकारी की पुश्तैनी है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। सम्बत 2015 में खातेदार प्रतिवादीगण के पूर्वज रहे है, जागीर एक्ट व आर.टी.एक्ट के प्रभाव में आने पर वादी कभी खुदकाश्त काबिज नही रहा है। रैफन्स 2014/एल.आर/7481/2006/ न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर पैज नम्बर 359 रेफरेन्स/एल.आर/5146/2010/ पैज नम्बर 91 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर अपने समर्थन में पेश किये है, प्रतिवादीगण के वुर्जुगों से सैटिलमैन्ट कमियों से साज कर खाता अपने नाम कराया और प्रतिवादीगण का कब्जा बतौर ट्रेस पासर नही वल्कि प्रतिवादीगण वतौर खातेदार पुश्तैनी गैर पर काबिज है। दिनांक 27.04.2006 को रमेशदास से प्रतिवादीगण से कब्जा लेने को नही कहा भूमि में कोई पक्का कुआ नही था न अव है प्रतिवादीगण ने भूमि खुर्दवुर्द नही की है ना भूमि में ववूल के पेड थे। भूमि पर प्रतिवादीगण सन् 1952 से पूर्व से व दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से अपने पिता व पितामह के समय से बतौर हक खातेदारी काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी के कोई खातेदारी हक हकूक कभी भी भूमि में विहित नही हुये है। वादी दावा की आड में प्रतिवादीगण से भूमि को छीनना चाहता है। दावा वादी खारिज किया जावें।

वहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व साक्ष्य का अवलोकन कर विवेचन किया गया प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित प्रतीत होता है तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

विवाधक संख्या 01 को सावित करने का भार वादी पर है। वादी इस विवाधक के सम्बन्ध में नकल जमाबन्दी सम्बत 2012 प्रदर्श –1 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श –2 एवं सैटिलमैन्ट जमाबन्दी सम्बत 2015 प्रदर्श –3 प्रस्तुत की है जिससे सम्बत 2012 में जमाबन्दी में भूमि वादग्रस्त वादी मंदिर ठाकुरजी मुरली मनोहर जी वाके ग्राम सौरया तहसील करौली के खातेदारी में दर्ज है सैटिलमैन्ट सम्बत 2015 मे प्रतिवादीगण के पूर्वज रामहेत व बण्डा का नाम सैटिलमैन्ट विभाग व कर्मियों द्वारा वक्त बन्दोंवस्त में दर्ज किया है वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में भूमि वादी मंदिर ठाकुरजी के खातेदारी व कब्जे की होना प्रतिवादीगण का कब्जा बतौर ट्रेस पासर होना कथन किया है। वादी द्वारा इसके समर्थन में आर.आर.डी. 2007 पेज 56 व आर.आर ओं. 2002 पेज 167 प्रस्तुत की है इसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई राजस्व रिकार्ड पुश्तैनी खातेदारी के सम्बन्ध का प्रस्तुत नही किया हैं, जिससे स्पष्ट है कि भूमि सम्बत 2012 से वादी मंदिर के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसके सैटिलमैन्ट सम्बत 2015 में प्रतिवादीगण के पिता व पितामह रामहेत व बण्डा के हक में अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज कॉलम न05 में विला आधार ही दर्ज हुये होना प्रकट होता है सैटिलमैन्ट विभाग को सैटिलमैन्ट से पूर्व रहे इन्द्राज को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के वदलने का अधिकार नही है। वल्कि पूर्व खातेदारी इन्द्राज को ही पुनरावृति कराने का दायित्व होता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.04.12 12:35:36 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

अतः विवाधक संख्या 01 वादीके पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाधक संख्या 02 सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे भूमि वादी मंदिर के खातेदारी की नही रही हो और प्रतिवादीगण का कब्जा वतौर खातेदार सन् 1952 से पूर्व से दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से रहा है। कोई खसरा गिरदावरी या जमाबन्दी सम्बत 2012 से पूर्व की पत्रावली में प्रस्तुत नही की है और प्रतिवादीगण ने वादी रमेशदास को दावा दायर करने का हक किस आधार पर नही है यह भी अपनी मौखिक साक्ष्य मे नही बताया है मात्र यह कथन किया है कि वादी रमेशदास तुलसीदास का चेला नही है। परन्तु यह भी नही बताया है कि तुलसीदास का रमेशदास से भिन्न कौन चेला है। जबकि वादी द्वारा अपने को पुजारी व चेला होना अपनी मौखिक साक्ष्य में बताया है। विवाधक संख्या 2 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाधक संख्या 03 अनुतोष है विवाधक संख्या 1 व 2 के विवेचन से वादग्रस्त आराजीयात वादी मंदिर के खातेदारी व कब्जे काश्त की सम्बत 2012 से होना जमाबन्दी प्रदर्श –1 से सावित होती है।

वादी मंदिर शाश्वत नावालिग है जिसकी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा वतौर ट्रेस पासर है भूमि को प्रतिवादीगण को खुर्दवुर्द करने व नष्ट करने का हक किसी भी प्रकार से प्राप्त नही होता है प्रतिवादीगण के पूर्वज रामहेत व बण्डा एवं उनके मरने के वाद प्रतिवादीगण के वादग्रस्त भूमि के हुये खातेदारी इन्द्राज अनाधिकार है विल आधार है वादी मंदिर ठाकुरजी के हक में खातेदारी धोषणा कराने एवं भूमि पर प्रतिवादीगण को वेदखल कराकर दखल कराकर कब्जा वादी मंदिर को दिलाये जाने व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार व अधिकारी है वादी मंदिर का पुजारी है उसे दावा दायर करने का हक प्राप्त है। दावा वादी ड्रिकी किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है वादी मंदिर ठाकुरजी मुरली मनोहर जी वाके ग्राम सौरया तहसील करौली को वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 202,203,204,कुल किता 3 कुल रकवा 5 वीधा ग्राम सौरया पटवार हल्का खूबनगर तहसील करौली को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी से हजफ किया जाता है। वादी मंदिर ठाकुरजी के हक में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी इन्द्राज अमल किये जावें। वादी मंदिर वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीगण से दखल कराकर वादी मंदिर को कब्जा सम्भलवाया जावें। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह भूमि के खुर्दवुर्द नही करे पेडों को भूमि से नही काटे एवं भूमि से कोई निर्माण कार्य नही करें ना करावें। खर्चा मुकदमा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेंगे तदानुसार पर्चा ड्रिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.04.12 12:35:36 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with CamScanner